प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 09.06.2025

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. संतराज पुत्र सुंदर निवासी परसाझकरिया 02. रामसवारे पुत्र सहदेव निवासी सुम्हा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अभय कुमार पाण्डेय, का0 अजीत पासवान,का0 अनिल यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 1483 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल**–* पीआरवी 1483 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत देवडीह से कालर द्वारा बाइक से साइकिल में ठोकर लगने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.हरिश्चन्द्र पुत्र सम्पत सा0 रक्शाकोल थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय़ता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अजीत यादव, आ0 गौरव सिंह, आ0चा0 विश्वग्रहण।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 1,51,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 1,51,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 2500रु0 के अर्थदण्ड व मा0 न्यायालय उठने तक की सजा से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 10.06.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 2500 रु0 के अर्थदण्ड व मा0 न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 290/216 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अजीब उर्फ ढेलवा पुत्र मो0 मुस्लिम निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अपराध में जेल में बितायी अवधि, 2500रु0 के अर्थदण्ड व मा0 न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।